

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. पप्पूराम पुत्र श्री फूलचंद निवासी आगरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

- वादी

बनाम

2. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 722/2025

जीसीएमएस नं० 2025/1362

आदेश

दिनांक -14/11/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम गुवार तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 259 में वादीगण के गलत दर्ज नाम "गुरुदयाल पुत्र तेजाराम, पप्पूराम पुत्र तेजाराम, मुकेश पुत्र तेजाराम, मनखा पुत्र तेजाराम व गीता पुत्री तेजाराम, ज्याना देवी पुत्री तेजाराम, धापली देवी पुत्री तेजाराम, नानची देवी पुत्री तेजाराम, पतासी देवी पुत्री तेजाराम, प्रियंका पुत्री तेजाराम, पांची देवी पुत्री तेजाराम, मनसुरी पुत्री तेजाराम" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "गुरुदयाल, हंसराज, सुभाष पुत्रगण मोहनलाल, रोशनी, सुनहरी पुत्री मोहनलाल पांची देवी पत्नी मोहनलाल, मुकेश, पप्पूराम पुत्रगण फूलचंद, गीता, मनसुरी, संती पुत्रियां तेजाराम " दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।



उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

मुद्रा

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)

बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. पप्पूराम पुत्र श्री फूलचंद निवासी आगरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-वादी

बनाम

2. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. 722-सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्ई रूबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम गुवार तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 259 में वादीगण के गलत दर्ज नाम "गुरुदयाल पुत्र तेजाराम, पप्पूराम पुत्र तेजाराम, मुकेश पुत्र तेजाराम, मनखा पुत्र तेजाराम व गीता पुत्री तेजाराम, ज्याना देवी पुत्री तेजाराम, धापली देवी पुत्री तेजाराम, नानची देवी पुत्री तेजाराम, पतासी देवी पुत्री तेजाराम, प्रियंका पुत्री तेजाराम, पांची देवी पुत्री तेजाराम, मनसुरी पुत्री तेजाराम" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "गुरुदयाल, हंसराज, सुभाष पुत्रगण मोहनलाल, रोशनी, सुनहरी पुत्री मोहनलाल पांची देवी पत्नी मोहनलाल, मुकेश, पप्पूराम पुत्रगण फूलचंद, गीता, मनसूरी, संती पुत्रियां तेजाराम " दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो

.निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें। बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 11 सन् 2025 को जारी की गई।



मुहर

दस्तखत
ओहदा.....

	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी (फाईलिंग)			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वेकिलनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना

चाहिए।